

दस रुपये TEN RUPEES

17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-शिवपुरी

R 209-11-17

कमल सिंह पुत्र श्री धनीराम निवासी-
वार्ड क्रं.1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के
सामने, नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

-- आवेदक

विरुद्ध

- 1- म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)
- 2- धर्मेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह
- 3- अजीत सिंह पुत्र कमल सिंह
- 4- नरेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह
निवासीगण अनावेदक क्रमांक 2
लगायत 4 वार्ड क्रं.1 सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र के सामने, नरवर,
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
- 5- संदीप चौरसिया निवासी - नरवर
तहसील नरवर जिला - शिवपुरी
(म.प्र.)

-- अनावेदकगण

**न्यायालय तहसीलदार नरवर, जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
11/2016-17/अ-68 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर
न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :



1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 5 संदीप चौरसिया द्वारा एक शिकायत
तहसीलदार तहसील नरवर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत की गयी थी।
कि ग्राम सिकन्दरपुर प.ह.न. 12 राजस्व निरीक्षक वृत्त 01 नरवर तहसील

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-209-दो/17

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p> <u>कलेक्टर जिला शिवपुरी</u></p>	